①

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं ....(नाम) तहसीलदार..नवलगढ़.. न्यायालय सहायक कलेक्टर/~~उपखण्ड अधिकारी~~, नवलगढ़.. के आदेश कमांक/राजस्व/19/984 दिनांक 16.12.19 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 05.05.22 समय 11:30 बजे आराजी खसरा नम्बर–..78.., 1331/78 वाके ग्राम ..गोठड़ा.. पटवार हल्का ...गोठड़ा........ पर श्री .... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी श्री अजयकुमार पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/~~उपखण्ड अधिकारी~~, नवलगढ़.... में विचाराधीन प्रकरण संख्या–139/2019 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक 02-5-22 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	सुभाष	पिता मगुता	43	मेघवंशी	प्रतिवादी
2.	भवणी	पत्नी कालुराम	70	मेघवंशी	प्रतिवादी
3.	राकेश कुमार उर्फ राजेशकुमार	पिता मगुता	34	—	प्रतिवादी
4.	अनिल कुमार	पिता मगुता		—	प्रतिवादी
5.	बनारसी देवी	पत्नी मगुता	32	—	प्रतिवादी
			65	—	प्रतिवादी
6.	भागीरथ	पुत्र नथू	70	—	प्रतिवादी

....

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :–

मौका का नजरी नक्शा

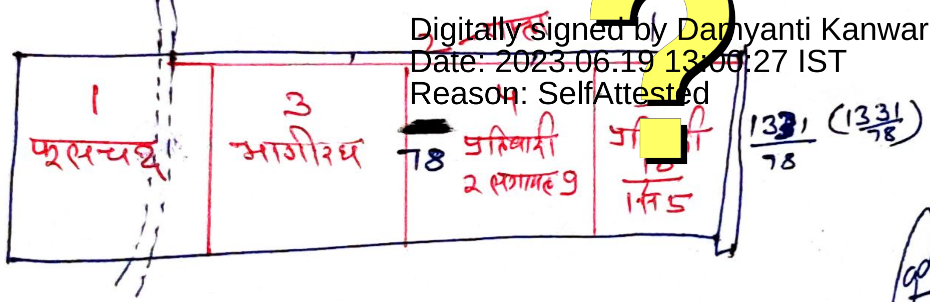

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:06:27 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

नजरी नक्शा व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार उपस्थित जनों के समक्ष विभाजन प्रस्ताव किताबार तैयार किया गया।

क्र.सं.	खातासं.	नाम खातेदार मय पिता/पति व पता	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	583	फूलचन्द पुत्र नत्थू जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	78/1	0.37	बारानी II	1.14
2.	583	भागीरथ पिता नत्थू जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	78/3	0.36	बारानी II	1.11
3.	583	अनिल कुमार राजेश कुमार सुभाषचन्द पिता मगुता, अनिता, ताराभणी, राजू सुमित्रा पुत्री मगुता, बनारसी देवी पत्नि मगुता जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	78/4	0.36	बारानी II	1.11
4.	583	ईद्राज, मनोज रमेशचन्द पुत्र कजोड़ सोनम पुत्री कजोड़, भंवरी देवी पत्नि कजोड़ जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	78/5	0.30	बारानी II	
			1331/78	0.05	बारानी II	
			2	0.35	बारानी II	1.09
5.	583	फूलचन्द भागीरथ पिता नत्थू ½ अनिलकुमार राजेशकुमार, सुभाषचन्द पिता मगुता, अनिता ताराभणी, राजू, सुमित्रा पुत्री मगुता - बनारसी देवी पत्नि मगुता हि ¼ ईद्राज मनोज, रमेशचन्द पुत्र कजोड़, सोनम पुत्री कजोड़ भंवरी देवी पत्नि कजोड़ हि ¼ जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	78/2	0.06	बा.II	0.18

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:27 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

आंशिक नक्शा [illegible] ग्राम गोठड़ा
तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज०)
सन 1979-80

[illegible] के [illegible]

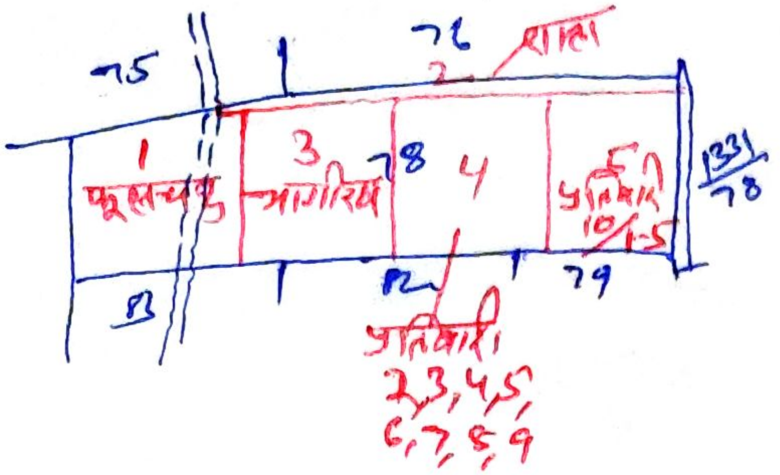

प्रमाणित सत्य प्रति राजकार्य हेतु

2/5/2022
6-7311651

अनिल कुमार

सुभाष

राजेशकुमार

प्रति. भागीरथ

अं.नि. बनारसी

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:27 IST
Reason: SelfAttested

(3)

क्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को ढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर म्न प्रकार हस्ताक्षर किये :–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1	सुभाषचन्द्र	पिता	मगुता	मेघवाल		
2.	श्रवणी	पत्नी	कजोड़	मेघवाल	सुभाष	प्रति श्रवणी
3	राजेश कुमार उर्फ राजेश कुमार	—	मगुता	—	राजेश कुमार	प्रतिवादी
4.	अनिल कुमार	पिता	मगुता	—	अनिल कुमार	प्रतिवादी
5	बनारसी देवी	पत्नी	मगुता	—		प्रति बनारसी देवी प्रतिवादी
6	भागीरथ पिता	नथू		मेघवाल		प्रति भागीरथ प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
1	फूलचन्द्र	पिता मगुता	–	मेघवाल	वादी – बावजूद के उपस्थित नहीं हुआ।

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..	
1	सुमित्रा पत्नी	मनोज कुमार	35	मेघवाल	9351367727	सुमित्रा
2	सुशील कुमार	पिता रामप्रसाद	27	जोगी	7728042424	

वादी को दूरभाष से सूचित किया गया (...) बावजूद उपस्थित नहीं हुआ)

इस प्रकार आज दिनांक 02-5-22 को ... किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:27 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
पटवारी
हलका ...

हस्ताक्षर 2-5-22
भू अ निरीक्षक
परसरामपुरा

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 139/2019

फूलचन्द पुत्र नथू उम्र 56 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू। दायर दिनांक–05.08.2019

– वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र नथू उम्र
2. बनारसी देवी पत्नी भगुता
3. राजू पुत्री भगुता
4. सुमित्रा पुत्री भगुता
5. तारामणी पुत्री भगुता
6. अनिता पुत्र भगुता
7. अनिल पुत्र भगुता
8. राकेश कुमार उर्फ राशकुमार पुत्र भगुता
9. सुभाषचन्द पुत्र भगुता
10. कजोड़ (मृतक)
    10/1 श्रवणी पत्नी कजोड़
    10/2 मनोज पुत्र कजोड़
    10/3 रमेश पुत्र कजोड़
    10/4 इन्द्राज पुत्र कजोड़
    10/5 सोनम पुत्री कजोड़
    समस्त जाति मेघवाल निवासीगण गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)
11. तहसीलदार लैण्ड होल्डर जरिये राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल**
वकील प्रति॰ नं॰ :– **श्री अमरसिंह शेखावत, श्री महेश कुमार नारनोलिया**

दावा– बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राज॰काश्त॰अधि॰
प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज विभाजन प्रस्ताव

निर्णय

निर्णय दिनांक : 27.12.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– प्राथमिक निर्णय की पालना करवाने के लिए तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है कि वह सभी पक्षकारों की मौजुदगी मे मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव कर राजसव भू–अधिनियम की धारा 18 लगायत 21 को मध्य नजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रतिवादीगण ने तहसीलदार नवलगढ़ से मिलीभगत कर वादी को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में तैयार किया है जिससे वादी के हक व अधिकार का हनन हुआ है। प्रतिवादीगण ने अच्छी किस्म की भूमि को अपने हक में लिया है जबकि शामलाती काश्त की भूमि का विभाजन स[illegible] दिया जाना न्यायोचित है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत ऐतराज प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तह[illegible]ढ को पुनः आदेश दिया जावे कि वह मौके पर वादी की मौजुदी मे प्राथमि[illegible] के अनुसार [illegible] अधिनियम की धारा 18 लगायत 21 की पूर्ण पालना कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिज[illegible] जावें।

वकील अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन [illegible]ाव का जवाब नही पेश कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। बहस प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन प्र[illegible] वकील उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) दौराने बहस कथन किया कि वादी ने प्रार्थना पत्र में उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार के समय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है, इस संबंध में तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से सभी पक्षकारो को नोटिस जारी कर ही तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाया गया है। विभाजन प्रस्ताव में वादी व प्रतिवादीगण को हिस्से अनुसार भूमि दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:27 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)

विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है।
पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया तथा कब्जा काश्त भी वही रखना
चाहते है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान व गांव के मौतबिराने
के हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है। पुनः विभाजन प्रस्ताव
मंगवाने का प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को Delay के लिये लगाया हैं। अतः दावा विभाजन मुताबिक विभाजन
प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं, विभाजन प्रस्ताव
दिनांक 28.06.2022 न तो मौके अनुसार है तथा न ही खातेदारो की मौजुदगी में तैयार किया गया है तथा
न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो अनुसार है तथा न ही नियम 18 से 21 की कोई पालना की गई है,
इसलिए विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.06.2022 को पुनः नियमानुसार पक्षकारों की मौजुदगी में मंगवाया जाना
आवश्यक व न्यायोचित है।

पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया
गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त
भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार शामलाती दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है।
प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार के समय पक्षकारों को सुनवाई का
अवसर नही दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है, इस संबंध में विभाजन
प्रस्ताव का अवलोकन से स्पष्ट होता हे कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सभी पक्षकारो को सूचना
जारी कर तथा पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम
18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया हुआ है। पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार ही
विभाजन प्रस्ताव बनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ द्वारा तैयार किया जिसमें तहसीलदार नवलगढ द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ
है। विभाजन पर उपस्थित पक्षकारान व गांव के मौतबिराने के हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर
अनिल कुमार, सुभाष, राजेश कुमार ,भागीरथ, श्रवणी व बनारसी के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के
समय सुभाषचन्द्र पुत्र भगुता (प्रतिवादी), श्रवणी पत्नी कजोड़ (प्रतिवादी), राकेश कुमार पुत्र भगुता (प्रतिवादी),
बनारसी देवी पत्नी भगुता (प्रतिवादी) व भागीरथ पुत्र नथु व अनिल पुत्र भगुता तहसीलदार नवलगढ़ की
उपस्थति में उपस्थित रहे हैं। उक्त पक्षकारों की उपस्थिति होने से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए
जाने हेतु पक्षकारों को सूचित किया जाना जाहिर होता है।

जहां तक न्यायालय का मत है वर्णित विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 के
अनुसार निर्धारित प्रपत्र मे तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो को सूचना प्रेषित कर
तैयार कर किया हुआ है जिस पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी होना अंकित है तथा वादी बावजूद सूचना
उपस्थित नही होना अंकित है। विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत
ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पोषणीय प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप वादी की आपति/प्रार्थना पत्र खारिज की
जाती है तथा वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं।

तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./1545 दिनांक 28.
06.2022 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव
निर्णय का भाग रहेगा।

राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में काश्त की भूमि खसरा नम्बर नया 1331/78 रकबा 0.05 है0,
खसरा नम्बर 78 रकबा 1.45 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है0 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.37 है0 [illegible]नी द्वितीय का फुलचन्द पुत्र नथू जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित [illegible]या ज[illegible]।
2. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/3 रकबा 0.36 है0 कि[illegible] द्वितीय का भागीरथ पिता नथू जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित कि[illegible] है।
3. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/4 रकबा 0.36 है0 कि[illegible] बारानी द्वितीय का अनिल, राजेश कुमार, सुभाष चन्द पिता भगुता अनिता, तारामणी, राजू, सुमित्रा [illegible] भगुता, बनारसी देवी पत्नी स्व0 भगुता जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/5, 1331/78 रकबा कुल किता 2 0.30, 0.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय का इन्द्राज, मनोज, रमेशचन्द्र पुत्र कजोड़ सोनम पुत्री कजोड़ श्रवणी देवी पत्नी कजोड़ जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:27 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (प्रा.टे.)
नवलगढ़

5. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0.06 है0 किस्म बारानी द्वितीय का फूलचन्द, भागीरथ पिता नथू अनिल कुमार, राजेश कुमार, सुभाषचन्द पिता भगूता, अनिता, तारामणि, राजू, सुमित्रा पुत्री भगूता बनारासी देवी पत्नी भगुता हिस्सा 1/4 इन्द्राज, मनोज, रमेशचन्द्र पुत्र कजोड़, सोनम पुत्री कजोड़, श्रवणी देवी पत्नि कजोड़ हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:27 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ,विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 139/2019 (फूलचन्द बनाम भागीरथ आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **श्री दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.12.2022 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम गोठड़ा की सरहद में काश्त की भूमि खसरा नम्बर नया 1331/78 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 78 रकबा 1.45 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.50 है0 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/1 रकबा 0.37 है0 किस्म बारानी द्वितीय का फुलचन्द पुत्र नथू जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/3 रकबा 0.36 है0 किस्म बारानी द्वितीय का भागीरथ पिता नथू जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/4 रकबा 0.36 है0 किस्म बारानी द्वितीय का अनिल, राजेश कुमार, सुभाष चन्द पिता भगुता अनिता, तारामणी, राजू, सुमित्रा पुत्री भगुता, बनारसी देवी पत्नी स्व0 भगुता जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/5, 1331/78 रकबा कुल किता 2 0.30, 0.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय का इन्द्राज, मनोज, रमेशचन्द्र पुत्र कजोड़ सोनम पुत्री कजोड़ श्रवणी देवी पत्नी कजोड़ जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. ग्राम गोठड़ा की भूमि खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0.06 है0 किस्म बारानी द्वितीय का फूलचन्द, भागीरथ पिता नथू अनिल कुमार, राजेश कुमार, सुभाषचन्द पिता भगूता, अनिता, तारामणि, राजू, सुमित्रा पुत्री भगूता बनारासी देवी पत्नी भगुता हिस्सा 1/4 इन्द्राज, मनोज, रमेशचन्द्र पुत्र कजोड़, सोनम पुत्री कजोड़, श्रवणी देवी पत्नि कजोड़ हिस्सा 1/4 जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन............–................ मुबलिग............–.............बाबत.......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.12.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	10.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कृमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:27 IST
Reason: SelfAttested